वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", राष्ट्रीय सहारा, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.04.2025

अपर सचिव ने मानचित्र निस्तारण को लेकर की समीक्षा

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशों के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जोन-एक एवं जोन-दो की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया। जोन-एक के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 10,50,000 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 12,24,78,676 एवं जोन-दो के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 12,89,708 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 8,82,46,174 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलंबतम एक सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिया गया है। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता संजय तिवारी, अवर अभियन्ता रोहित कुमार, भवन लिपिक किरन सिंह एवं जोन-दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता विनोद कुमार सहित भवन लिपिक रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

आज–दि0 24.04.2025

अपर सचिवने की वसूलीकी बैठक, अधिकारियोंको दी चेतावनी

विकास प्राधिकरणके अपर सचिव डॉक्टर डुडाकेश शर्माने बुधवारको जोन एक के वार्ड- शिवपुर, सिकरौल और जोन-दो के वार्ड-सारनाथ, आदमपुर, जैतपुराके कार्योंकी समीक्षा की। इस दरम्यान उन्होंने वसूलीको लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए जोनल अधिकारी अभियन्ताओंको चेतावनी दी। उन्होंने सील प्रकरणमें सतर्कता बरतने, बेसमेंट खाली कराने, एक सप्ताहमें जन शिकायतें दूर करनेका निर्देश दिया। बैठकमें बताया गया कि अभी तक दस लाख पचास हजार रुपये जोन एक में जमा किया गया है एवं जोन दो में आठ करोड़ ८२ लाख ४६ हजार एक सौ चौहत्तर रुपया विप्रा कोष में जमा कराया गया। बैठक में जोन-एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र और जोन-दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमारके अलावा अवर अभियन्ता संजय कुमार तिवारी, रोहित कुमार, विनोद कुमार एवं अन्य फील्ड कर्मचारी मौजूद थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 24.04.2025

अपर सचिव वाविप्रा डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में आज 23.04.2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 14.04.2025 से दिनांक 20.04.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 10,50,000.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-12,24,78,676.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 14.04.2025 से दिनांक 20.04.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 12,89,708.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-8,82,46,174.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपें गये कायी के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री संजय तिवारी, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स—दि0 24.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी । विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन–1 एवं जोन–2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन–1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 14.04.2025 से दिनांक 20.04.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 10,50,000.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0–12,24,78,676.00 एवं जोन–2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 14.04.2025 से दिनांक 20.04.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 12,89,708.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष–2024–25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0–8,82,46,174.00

जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया।सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपें गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन–1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री संजय तिवारी, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन–2 के जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।